

7-9-18 - पत्रावली चेरा हुई।
 पत्रावली वास्ते जाबाब हेतु जा.
 दिशा जाकर मिराल आंध्र दिनांक
 16-10-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

दिनांक...16...10...18...
 उपस्थित।
 आज पीठासीन अधिकारी महोदय सुमेरपुर जाकर
 पधारं हुए हैं अतः पेशी उपर्युक्त होकर पत्रावली
 आर्यदा दिनांक...16...10...18...पेश हो।
 रोडर,
 उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

दिनांक...24...11...18...
 उपस्थित।
 आज पीठासीन अधिकारी महोदय सुमेरपुर जाकर
 पधारं हुए हैं अतः पेशी उपर्युक्त होकर पत्रावली
 आर्यदा दिनांक...24...11...18...पेश हो।
 रोडर,
 उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

दिनांक...27...12...18...
 उपस्थित।
 आज पीठासीन अधिकारी महोदय सुमेरपुर जाकर
 पधारं हुए हैं अतः पेशी उपर्युक्त होकर पत्रावली
 आर्यदा दिनांक...27...12...18...पेश हो।
 रोडर,
 उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

8/11/19 पत्रावली चेरा हुई। प्रकरण में तबसीलदा
 का सुना गया। पत्रावली का निरीक्षण व
 शकलोकन किचा गया। मौजा भाकन्दा के पुराने
 खण्ड नं० 513 रकबा 66 बीघा। खिसा किस्म
 बाराती दोघम दर्ज की। जो जमाबंदी संख्या
 2024 से 2027 में अंकित है। सैलमेंट किताब
 द्वारा गत खण्ड नं० 513 के हाल खण्ड नं० 1086
 उपखण्ड अधिकारी
 सुमेरपुर, जिला-

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुकम तामील नंबर व तारीख
<p>रकबा 6.91 ईक्टर को गैर शुद्ध वाला रूफ कर दिया गया जिसका सैलमेंट को कोई अधिकार नहीं है। पट्टवारी रिपोर्ट अनुसार गोंके पर आबादी वसी हुई है। गोंके पर एक छोटी सीकाली निकली हुई है जो गत्ते के ही काम आती है प्रकरण में भूमि धारि की तरफ से प्रमाण से जाबाब पेश किचा गया जो शाफिल पत्रावली किचा गया। खण्ड नं० 1086 के 1.50 ई० रकबे पर आबादी बसना ऐन प्रकान बताया जाता है। अतः खण्ड नं० 1086 के 1.50 ई० रकबे को जिस पर आबादी वसी हुई है की किस्म परिवर्तन पूर्व अनुसार बाराती दोघम दर्ज करने के आदेश दिष्टे जाते हैं। प्रकरण में फैसला आहारा से निरंतर जाकर शाफिल पत्रावली किचा गया। निर्वाचन आज दिनांक 25/1/19 का सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुभार दोन नम्बर से कम हो।</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली</p>	